

संख्या-3059/अटवासी-2009

विषय

दुर्गा शंकर मिश्रा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
उ०प्र०, लखनऊ।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अनुभाग

लखनऊ:दिनांक 05 अक्टूबर, 2009

विषय- खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा दैनिक डायरी रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्यों का विवरण दैनिक डायरी में रखा जाना नितान्त आवश्यक है, ताकि समय-समय पर निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्यों का उच्च अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा उच्चाधिकारियों को उक्त दैनिक डायरी उनके निरीक्षण हेतु अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाय।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के सहायक औषधि नियंत्रक/वरिष्ठ औषधि निरीक्षक/औषधि निरीक्षक एवं मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षकों को दैनिक डायरी के रख रखाव हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, जिसमें दिन-प्रतिदिन किये गये कार्यों के विवरण के साथ-साथ माह के अन्त में मासिक विवरण तैयार किया जाय, जिसमें निम्न सूचनार्यें अंकित की जाए:-

- कुल भ्रमण दिवस
- निर्माण इकाईयों के निरीक्षण की संख्या
- विक्रय संस्थानों के निरीक्षण की संख्या
- छापो की संख्या
- लिये गये नमूनों की संख्या
- दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की संख्या
- प्राथमिकी दर्ज किये गये व्यक्तियों की संख्या
- गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
- जब्त औषधियों/खाद्य सामग्री का अनुमानित मूल्य
- अधोमानक/नकली घोषित नमूनों की प्राप्त रिपोर्ट

- निर्माण/विक्रय संस्थानों की संख्या, जिनके लाइसेंस निरस्त/निलम्बित किये गये।
- दायर वादों की संख्या
- निर्णीत मुकदमों की संख्या
- कितने सम्मन/सूचना मुदमों में साक्ष्य हेतु प्राप्त
- कितने मुकदमों में साक्ष्य हेतु उपस्थिति

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
सचिव।

संख्या-3059 (1)/88-09-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एस0के0द्विवेदी)
विशेष सचिव।